

महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या-5825/2025/003-comp no. 1973361

प्रेषक,

कृपा शंकर जैसवार,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु द्वितीय किशत के रूप में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या-1009/9-1-2025/002-comp.no. 1876780, दिनांक 17.03.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 59 जनपदों की 131 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू०-20052.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में धनराशि रू०-5190.68 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ नब्बे लाख अड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1268/9-1-2025/003-comp.no.1876780, दिनांक 30.03.2025 द्वारा उक्त 131 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं हेतु धनराशि रू०-1400.00 लाख की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। उक्त शासनादेश में से नगर पंचायत डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर (क्र०सं०-114); नगर पंचायत तुलसीपुर, बलरामपुर (क्र०सं०-61); एवं नगर पंचायत हरदुआगंज, अलीगढ़ (क्र०सं०-121) को प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि के रूप में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर / बलरामपुर / अलीगढ़ द्वारा अनुरोध किया गया है।

2. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का

विकास हेतु 'वंदन' योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू०-100.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू०-36.72 करोड़ में से उक्त शासनादेश संख्या-1009/9-1-2025/002-comp.no.1876780, दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1268/9-1-2025/003-comp.no.1876780, दिनांक 30.03.2025 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पंचायत डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, नगर पंचायत तुलसीपुर, बलरामपुर एवं नगर पंचायत हरदुआगंज, अलीगढ़ को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन द्वितीय/अंतिम किश्त की निम्नानुसार कुल धनराशि रू०-262.80 लाख (रूपये दो करोड़ बासठ लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान करती है:-

क्र० सं०	कार्य/ परियोजना का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	परियोजना हेतु स्वीकृत निविदा की धनराशि (रूपये लाख में)	कुल अवमुक्त धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निर्गत वित्तीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	परियोजना हेतु अवमुक्त की जा वाले धनराशि अवशेष धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत अवस्थित स्थल-ठाकुरद्वारा मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य	संख्या- 1009/9-1-2025/002-comp.no. 1876780, दिनांक 17.03.2025	85.00	84.95	28.00	56.95
2	नगर पंचायत तुलसीपुर, बलरामपुर के वार्ड भवनियापुर में अवस्थित स्थल-हनुमान मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य	संख्या- 1009/9-1-2025/002-comp.no. 1876780, दिनांक 17.03.2025	199.88	199.82	50.00	149.82
3	नगर पंचायत हरदुआगंज, अलीगढ़ के अन्तर्गत अवस्थित स्थल-रामलला मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य	संख्या- 1009/9-1-2025/002-comp.no. 1876780, दिनांक 17.03.2025	87.00	86.71	30.68	56.03
कुल योग			371.88	371.48	108.68	262.80

- i. उक्त स्वीकृतियाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही है।
- ii. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ०प्र० द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि को संबंधित निकाय को प्रदान की जायेगी।

- iii. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय की होगी तथा संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- iv. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- v. निकाय स्तर पर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा। संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यों का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।
- vi. जिला स्तर पर विषयगत योजना हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने जिले से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यों का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- vii. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- viii. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- ix. शासनादेश संख्या-1009/9-1-2025/002-comp.no 1876780 दिनांक 17.03.2025 एवं संख्या-1268/9-1-2025/003 comp no. 1876780, दिनांक 30.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कार्यदायी विभाग द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,62,80,000 (रुपये दो करोड़ ^{षासठ} ~~सह~~ लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001100 प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by

भवदीय

Kripa Shanker Jaisvar

Date: 26-12-2025

(कृपा शंकर जैसवार)

19:07:30

अनु सचिव।

संख्या-5825/2025/003-comp no. 1973361, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।

- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर / बलरामपुर / अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 6- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, नगर पंचायत तुलसीपुर, बलरामपुर; एवं नगर पंचायत हरदुआगंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 1
- 8- कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कृपाशंकर जैसवार)
अनु सचिव।